

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्ररूप - III

[नियम 5 (1) देखिए]

नगरीय विकास कर के स्व-निर्धारण के लिए प्रपत्र

प्रेषिती,
आयुक्त

जोन
.....

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

कार्यालय उपयोग हेतु

प्राप्ति की तारीख

जमा राशि रु

रसीद सं.

रसीद दिनांक

लिपिक के हस्ताक्षर

भाग - 1

(सामान्य सूचना)

- वित्तीय वर्ष, जिससे कर संबंधित है
- (क) भवन और भूमि के स्वामी/अधिभोगी का नाम
(ख) पिता/पति का नाम:-
(ग) वृत्ति :- सेवा/कारोबार/गृहिणी/अन्य:-
(घ) आयु (वर्षों में)
(य) दूरभाष सं. :- कार्यालय निवास फ़ैक्स
(र) वर्तमान पता/डाक का पता

3. भवन और भूमि का पता :-

i. वार्ड सं.	
ii. मौहल्ले/कॉलोनी का नाम	
iii. प्लॉट/गृह/दुकान सं.	
iv. व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स/बहुमंजिला भवन का नाम	
v. मार्ग का नाम	
vi. सेक्टर नम्बर (यदि हो तो)	
vii. शहर का नाम व पिन कोड सं.	

4. पिछले वर्ष के जमा कर की विशिष्टियां:-

- गत निर्धारण वर्ष
 - उस वर्ष का निर्धारित कर
 - जमा कर का विवरण
- (रसीद सं. एवं जमा तिथि)

भाग - 2

5. भवन और भूमि विशिष्टियाँ:-

1. (क) कुल क्षेत्र (Plot Area) (वर्ग गज में)
- (ख) खाली क्षेत्र (Vacant Area) (वर्ग गज में)
- (ग) निर्मित क्षेत्र (Plinth Area) (वर्ग गज में)
- (घ) कुल निर्मित क्षेत्र (Total Built up Area) ----- (वर्ग फुट)। ----- (वर्गगजों में)
- (ङ) निर्मित तल/मंजिलों की संख्या

2. भूमि और भवन का तल वार उपयोग व क्षेत्र का विवरण

भूमि का उपयोग	तल क्षेत्र का ब्यौरा (वर्ग फुट में)								
	तहखाना	भूतल	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल			कुल (वर्गफुट)	कुल (वर्गगज)
आवासीय									
वाणिज्यिक									
संस्थागत									
औद्योगिक									
विविध									

भाग - 3

6. कर का निर्धारण :-

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल (वर्गगज)	डी.एल.सी. दर रु	देय कर रु क्षेत्रफल (व.गजों में) X डीएलसी दर/2000	कुल देय कर रु
1	2	3	4	5	6
1	निर्मित क्षेत्र (वर्गगज) क. (आवासीय) ख. (वाणिज्यिक) ग. (संस्थागत) घ. (औद्योगिक)				
2	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गगज) (बहुमंजिला आवासीय एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए लागू नहीं)				
	कुल				

7. जमा राशि का विवरण:-

रसीद सं..... दिनांक जमा राशि रु.

टिप्पणी:-

1. स्वामी/अधिभोगी द्वारा उस के स्वामित्व वाली या अधिभोग की प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक-पृथक स्व-निर्धारण प्रपत्र प्रति वर्ष भरा जायेगा।
2. स्वामी/अधिभोगी स्व-निर्धारण प्रपत्र भरने के पूर्व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अध्ययन करेगा।
3. यदि भूमि या भवन का उपयोग एक से अधिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो प्रत्येक प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले भाग को भाग-3 में उपदर्शित किया जाना चाहिए।
4. पूर्ण खाली भूखण्ड के क्षेत्र पर कर की दर की गणना, भूमि के अधिकृत उपयोग अथवा वास्तविक उपयोग दोनों में से जिस पर अधिक होगी, के आधार पर होगी।
5. मिश्रित उपयोग की सम्पत्ति या भिन्न-भिन्न उपयोग की सम्पत्ति पर कर के दर की गणना वास्तविक उपयोग के आधार पर एक इकाई मानते हुए की जावेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम

स्वामी/अधिभोगी/प्राधिकृत प्रतिनिधि